

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) भादरा, जिला हनुमानगढ़  
पीठासीन अधिकारी :- श्रीमती शकुंतला चौधरी आर.ए.एस.



मि0न0 -06/2022(2022/7)

अनवान : -

सुभाष चन्द्र पुत्र स्व. श्री इन्द्रसैन जाति महाजन निवासी जोगीवाला तहसील सिरसा हाल आबाद भट्ट हरियाणा।

वादी

बनाम

1. राजकुमार पुत्र इन्द्रसैन जाति महाजन निवासी जोगीवाला तहसील सिरसा
2. बृजलाल पुत्र इन्द्रसैन जाति महाजन निवासी जोगीवाला तहसील सिरसा
3. मन्जू पुत्री इन्द्रसैन जाति महाजन निवासी जोगीवाला तहसील सिरसा
4. वेदपति उर्फ बिन्दू उर्फ रेखा पुत्री इन्द्रसैन जाति महाजन निवासी जोगीवाला तहसील सिरसा
5. योगेश पुत्र कृष्णा पुत्री इन्द्रसैन जाति महाजन निवासी जोगीवाला त. सिरसा
6. पवन पुत्र कृष्णा पुत्री इन्द्रसैन जाति महाजन निवासी जोगीवाला त. सिरसा
7. मिनु पुत्र कृष्णा पुत्री इन्द्रसैन जाति महाजन निवासी जोगीवाला त. सिरसा
8. राजबाला पुत्री कृष्णा पुत्री इन्द्रसैन जाति महाजन निवासी जोगीवाला
9. सोनू पुत्र कृष्णा पुत्री इन्द्रसैन जाति महाजन निवासी जोगीवाला त. सिरसा
10. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व भादरा।

प्रतिवादीगण

दावा बाबत घोषणात्मक  
अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी  
अधिनियम

उपस्थिति :- श्री नरेन्द्र डाबड़ी वादी  
श्री जयकिशन गोदारा प्रतिवादीगण

निर्णय

दिनांक : 12/05/22

संक्षेप में वाद के तथ्य इस प्रकार है कि रोही मौजा चक 3 एसडीआर के खाता सं. 85/9 के मु.न. 5 के किला न. 11/1, 11/2, 12, 13, 17, 18, 19, 20/1, 20/2, 21/1, 21/2, 22, 23, 24 एवं मु.न. 06 के किला न. 25 एवं मु.न. 7 के किला न. 5, 6, 7, 14, 15 एवं मु.न. 8 के किला न. 1/1, 1/2, 2 ता 9, 10/1, 10/2, 11/1, 11/2, 12 ता 19, 20/1, 20/2, 21/1, 21/2, 22, मु.न. 9 के किला न. 11/1, 11/2, 12, 20/1, 20/2 कुल कित्ता 52 की 9.6030 हैक्टर खातेदारी कृषि भूमि संयुक्त खातेदारी में वादी सुभाषचन्द्र के नाम 1/48 हिस्सा, प्रतिवादी पवन, योगेश, मिनु, राजबाला, सोनु प्रत्येक के नाम 1/240-1/240 हिस्सा, प्रतिवादिया वेदपति, मन्जू, राजकुमार, बृजलाल प्रत्येक के नाम 1/48-1/48 हिस्सा, राजस्व रिकार्ड में खातेदारी दर्ज है।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)  
भादरा (जिला-हनुमानगढ़)

वलदी कृषल डूडल संडुकुत हलनुदू डरलरुवलरु की कुडरुडरुसुनरी सडुडतल है कुु डकुषकरुनरु दलवल कुु अडने डलतल इनुदुरसुन से वलरुसतन डुरलडुत हुई है। उकुत कृषल डूडल डरलरुवलरुक डंतवलरु डें वलदी के हलरुसु डें आ गई एवं डुरतलवलदी सं. १ तल १ के हलरुसु डें हरलरुडलणल डें सुथलत संडुकुत हलनुदू डरलरुवलरु की अनुड सडुडतल हलरुसु डें आ गई है। इस करुण वलद कृषल डूडल तनुहल वलदी ही करुशत करुतल आ रलहल है।

वलद कृषल डूडल तनुहल वलदी कुु डरलरुवलरुक डंतवलरु डें डुरलडुत हुु गई है, डरनुतु रलकुसुव रलरुकलडु डें उकुत डूडल डुरतलवलदी सं. १ तल १ के नलड से दरुग रलहने से वलदी के हलतु डरु वलडरुीत असर डड़तल है। अतः वलदी डल डुषणल करु डलने करु डलकुड है कल वरुणलत वलद कृषल डूडल डें से डुरतलवलदी १ तल १ करु नलड कलडडकुन कलडल कुलकरु उसके सुथलन डरु वलदी कुु खलतेदलर करुशतकरु डुषलत कलडे कुलने करु नलवेदन कलडल है।

वलद डेश हुुने डरु दरुग रलकुसुतर कलडल कुलकरु डुरतलवलदीगण कुु कुलरुडे सडुडन तलड कलडल गडल। सडुडन तलडल हुुने के उडरलनुत वलदी व डुरतलवलदी सं० १ तल १ ने आडडुी सहडतल से रलकुीनलडल डेश करु डुरतलवलदी १ तल १ ने वलदी के डकुष डें अडनल हक व हलरुसु वलद कृषल डूडल से तुडलग करु अडनल हक व हलरुसु शूनुड करु ललडल है। रलकुीनलडल वलद तसुदीक डतुरलवली डरु ललडल गडल।

उकुत वलद डूडल वलडत सडुी डकुषकरुनरुडें डें डरलरुवलरुक सडडुुतल कलडल हुुआ है। डुरतलवलदी संखुडल १ तल १ ने अडनल हक व हलरुसु की डूडल वलदी हक डें हलरुसु तरुक करु शूनुड करु ललडल है।

सलकुषु वलदी डें वलदी सुडलष चनुदुर डुतुर सुव. शुरी इनुदुरसुन कुलतल डलहलकुन नलवलरुसी कुु गुुगुीवलल तलहसुील सलरसल के सलकुषु करुवलडे गडे। सलकुषुवलदी डें कुलडलडुदी चक ३ एसडीआर संवत २०७१-७४ डुरदरुश १ डुरदरुशलत करुवलडे एवं डुरसुतुत दसुतलवेकु सतुड एवं अडनल कुलनकरुी डें हुुनल सुवीकरु कलडल।

डलहस उडुडडकुषकरुनरु सुनी गई। दुरीरलने डलहस वकील वलदी ने अडने दलवल के तथुडें कुु दुुहरलते हुु वलद वलदी डुतलवलक रलकुीनलडल डलकुरी कलडे कुलने हेतु नलवेदन कलडल।

हडलरे दुरलरु वलदुडलन अडलडलषक की डलहस डरु डनुन कलडल व डुरतुरलवली डरु डुरसुतुत दसुतलवेकुत करु डुडलन डूरुवक अवलुकन कलडल। हसुतगत वलद वलदी ने रुुही डुुकुल चक चक ३ एसडीआर के खलतल सं. ८५/१ के डु.न. ५ के कललल न. ११/१, ११/२, १२, १३, १७, १८, १९, २०/१, २०/२, २१/१, २१/२, २२, २३, २४ एवं डु.न. ०६ के कललल डलदग (कुलतल-सुनुतेत) २५ एवं डु.न. ७ के कललल न. ५, ६, ७, १४, १५ एवं डु.न. ८ के कललल न. १/१, १/२, २ तल १, १०/१, १०/२, ११/१, ११/२, १२ तल १९, २०/१, २०/२, २१/१,

उडुडडुुतलरुसुतुतल (डुरलरुवलरु) डलदग (कुलतल-सुनुतेत)

21/2, 22, मु.न. 9 के किला न. 11/1, 11/2, 12, 20/1, 20/2 कुल किता 52 की 9.6030 हैक्टर खातेदारी कृषि भूमि संयुक्त खातेदारी में वादी सुभाषचन्द्र के नाम 1/48 हिस्सा, प्रतिवादी पवन, योगेश, मिनु, राजबाला, सोनु प्रत्येक के नाम 1/240-1/240 हिस्सा, प्रतिवादिया वेदपति, मन्जू, राजकुमार, बृजलाल प्रत्येक के नाम 1/48-1/48 हिस्सा, राजस्व रिकार्ड में खातेदारी दर्ज है। वाद वादी मुताबिक राजीनामा डिक्री किये जाने का निवेदन किया।


### क्रियात्मक आदेश

अतः वाद वादी मुताबिक राजीनामा डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा चक 3 एसडीआर के खाता सं. 85/9 के मु.न. 5 के किला न. 11/1, 11/2, 12, 13, 17, 18, 19, 20/1, 20/2, 21/1, 21/2, 22, 23, 24 एवं मु.न. 06 के किला न. 25 एवं मु.न. 7 के किला न. 5, 6, 7, 14, 15 एवं मु.न. 8 के किला न. 1/1, 1/2, 2 ता 9, 10/1, 10/2, 11/1, 11/2, 12 ता 19, 20/1, 20/2, 21/1, 21/2, 22, मु.न. 9 के किला न. 11/1, 11/2, 12, 20/1, 20/2 कुल किता 52 की 9.6030 हैक्टर खातेदारी कृषि भूमि संयुक्त खातेदारी में वादी सुभाषचन्द्र के नाम 1/48 हिस्सा, प्रतिवादी पवन, योगेश, मिनु, राजबाला, सोनु प्रत्येक के नाम 1/240-1/240 हिस्सा, प्रतिवादिया वेदपति, राजकुमार, बृजलाल प्रत्येक के नाम 1/48-1/48 हिस्सा, राजस्व रिकार्ड में खातेदारी दर्ज है। उसमें प्रतिवादी 01 ता 09 का नाम कलमजन कर वादी सुभाष चन्द्र को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। कृषि भूमि बैंक के रहन है तो रहन मुक्त होने के उपरान्त उपरोक्त घोषणा अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज कर रिकार्ड दुरुस्त किया जावे। खर्चा वाद उभय पक्ष अपना अपना वहन करें। पर्चा डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 12/05/22 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले

न्यायालय में सुनाया गया।



  
(शकुंतला चौधरी)  
भादरा (जिला-हनुमानगढ़)  
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)  
भादरा जिला हनुमानगढ़

पर्चा डिक्री

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) भादरा, जिला हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी :- श्रीमती शंकुतला चौधरी आर.ए.एस.-

मि0न0 -06 / 2022(2022 / 7)

अनवान : -

सुभाष चन्द्र पुत्र स्व. श्री इन्द्रसैन जाति महाजन निवासी जोगीवाला तहसील सिरसा  
हाल आबाद भट्टू हरियाणा।

वादी

बनाम

1. राजकुमार पुत्र इन्द्रसैन जाति महाजन निवासी जोगीवाला तहसील सिरसा
2. बृजलाल पुत्र इन्द्रसैन जाति महाजन निवासी जोगीवाला तहसील सिरसा
3. मन्जू पुत्री इन्द्रसैन जाति महाजन निवासी जोगीवाला तहसील सिरसा
4. वेदपति उर्फ बिन्दू उर्फ रेखा पुत्री इन्द्रसैन जाति महाजन निवासी जोगीवाला तहसील सिरसा
5. योगेश पुत्र कृष्णा पुत्री इन्द्रसैन जाति महाजन निवासी जोगीवाला त. सिरसा
6. पवन पुत्र कृष्णा पुत्री इन्द्रसैन जाति महाजन निवासी जोगीवाला त. सिरसा
7. मिनु पुत्र कृष्णा पुत्री इन्द्रसैन जाति महाजन निवासी जोगीवाला त. सिरसा
8. राजबाला पुत्री कृष्णा पुत्री इन्द्रसैन जाति महाजन निवासी जोगीवाला
9. सोनू पुत्र कृष्णा पुत्री इन्द्रसैन जाति महाजन निवासी जोगीवाला त. सिरसा
10. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व भादरा।

प्रतिवादीगण

आज यह वाद मुझ शंकुतला चौधरी उपखण्ड अधिकारी भादरा के समक्ष वकील वादीगण श्री नरेन्द्र डाबड़ी व वकील प्रतिवादी श्री जयकिशन गोदारा की उपस्थिति में निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादीगण मुताबिक राजीनामा डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही 3 एसडीआर के खाता सं. 85/9 के मु.न. 5 के किला न. 11/1, 11/2, 12, 13, 17, 18, 19, 20/1, 20/2, 21/1, 21/2, 22, 23, 24 एवं मु.न. 06 के किला न. 25 एवं मु.न. 7 के किला न. 5, 6, 7, 14, 15 एवं मु.न. 8 के किला न. 1/1, 1/2, 2 ता 9, 10/1, 10/2, 11/1, 11/2, 12 ता 19, 20/1, 20/2, 21/1, 21/2, 22, मु.न. 9 के किला न. 11/1, 11/2, 12, 20/1, 20/2 कुल कित्ता 52 की 9.6030 हैक्टर खातेदारी कृषि भूमि संयुक्त खातेदारी में वादी सुभाषचन्द्र के नाम 1/48 हिस्सा, प्रतिवादी पवन, योगेश, मिनु, राजबाला, सोनु प्रत्येक के नाम 1/240-1/240 हिस्सा, प्रतिवादिया वेदपति, राजकुमार, बृजलाल प्रत्येक के नाम 1/48-1/48 हिस्सा, राजस्व रिकार्ड में खातेदारी दर्ज है।, उसमें प्रतिवादी 01 ता 09 का नाम कलमजन कर वादी सुभाष चन्द्र को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। कृषि भूमि बैंक के रहन है तो रहन मुक्त होने के उपरान्त उपरोक्त घोषणा अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज कर रिकार्ड दुरुस्त किया जावे। खर्चा वाद उभय पक्ष अपना अपना वहन करें।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 12/05/22 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।



(शंकुतला चौधरी)  
उपखण्डाधिकारी (राजस्व),  
भादरा (जिला-हनुमानगढ़)  
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)

भादरा जिला हनुमानगढ़